	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 02, शुक्रवार, शाके 1943-सितम्बर 24, 2021 *Asvina 02, Friday, Saka 1943- September 24, 2021*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 23, 2021

संख्या प.2(25)विधि/2/2021.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 7)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हुई)

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 और अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय 2
राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 में संशोधन

2. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 43 का प्रतिस्थापन.- राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 43 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"43. भूमि का न्यास में निहित होना और उसका व्ययन.- (1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी उस अधिनियम की धारा 103 में यथा-परिभाषित भूमि, उक्त धारा के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट भूमि को और नगरीय क्षेत्र में उस अधिनियम की धारा 102-क के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के पास रखी गयी नजूल भूमि को छोड़कर, इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन न्यास के स्थापित होने के तुरन्त पश्चात् न्यास को सौंपी गई और उसमें निहित हुई समझी जायेगी जो ऐसी भूमि को राज्य सरकार के लिए और उसके निमित्त ग्रहण करेगा और उसका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकेगा और आबंटन, नियमितीकरण या नीलाम के रूप में उसका व्ययन ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए जैसाकि राज्य सरकार समय-समय पर अधिकथित करे, और ऐसी रीति से कर सकेगा जैसाकि वह समय-समय पर विहित करे:

परन्तु न्यास किसी भी ऐसी भूमि का व्ययन-

(क) उस पर कोई सुधार किये बिना या कराये बिना कर सकेगा; या

(ख) ऐसा सुधार किये जाने या कराये जाने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति से और ऐसी प्रसंविदाओं और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कर सकेगा जो वह योजना के अनुसार सुधार सुनिश्चित करने के लिए अधिरोपित करना समीचीन समझे।

(2) न्यास के द्वारा या उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाय किसी भी भूमि का सुधार किया या कराया नहीं जायेगा।

(3) यदि न्यास में निहित किसी भूमि की किसी भी समय नगरपालिका द्वारा अपने कृत्यों के पालन के लिए, या राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाये तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि नगरपालिका या राज्य सरकार के किसी विभाग को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो ठीक समझी जायें, सौंप सकेगी।"।

3. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 में नयी धारा 60-ग का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 60-ख के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 8 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"60-ग. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना.- (1) कोई व्यक्ति जो न्यास की अधिकारिता के भीतर, न्यास द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह न्यास से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का न्यास के पक्ष में, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा, न्यास ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है तो वह भी न्यास से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में

अपने अधिकारों का न्यास के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा, न्यास ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृति आधार पर है तो एकबारीय पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन न्यास द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर, उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार न्यास में निहित हो जायेंगे और न्यास, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि के धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा (1) और (2) के अधीन न्यास द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"।

अध्याय 3
जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 में संशोधन

4. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54-ङ का अंत:स्थापन.- जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) की विद्यमान धारा 54-घ के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 9 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"54-ङ. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना.- (1) कोई व्यक्ति जो प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर, प्राधिकरण द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है तो वह भी प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृति आधार पर है तो एकबारीय पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर, उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और प्राधिकरण, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक

द्वारा, ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि के धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"।

अध्याय 4
जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 में संशोधन

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 में नयी धारा 50-ख का अंत:स्थापन.- जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) की विद्यमान धारा 50-क के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 9 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"50-ख. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना.- (1) कोई व्यक्ति जो प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर, प्राधिकरण द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है तो वह भी प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृति आधार पर है तो एकबारीय पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर, उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और प्राधिकरण, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि के धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"।

अध्याय 5

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में संशोधन

6. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नयी धारा 68-क का अंत:स्थापन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 68 के पश्चात् और विद्यमान धारा 69 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"68-क. भूमि का नगरपालिका में निहित होना और उसका व्ययन.- (1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी उस अधिनियम की धारा 103 में यथा-परिभाषित भूमि, उक्त धारा के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट भूमि को और नगरपालिक क्षेत्र में उस अधिनियम की धारा 102-क के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के पास व्ययन के लिए रखी गयी नजूल भूमि को छोड़कर, इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन नगरपालिका के स्थापित होने के तुरन्त पश्चात् नगरपालिका को सौंपी गई और उसमें निहित हुई समझी जायेगी जो ऐसी भूमि को राज्य सरकार के लिए और उसके निमित्त ग्रहण करेगी और उसका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकेगी और उसका व्ययन ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए जैसाकि राज्य सरकार समय-समय पर अधिकथित करे, और ऐसी रीति से कर सकेगी जैसाकि वह समय-समय पर विहित करे:

परन्तु नगरपालिका किसी भी ऐसी भूमि का व्ययन-

(क) उस पर कोई विकास किये बिना या कराये बिना कर सकेगी; या

(ख) ऐसा विकास किये जाने या कराये जाने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति से और ऐसी प्रसंविदाओं और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कर सकेगी जो वह योजना के अनुसार विकास सुनिश्चित करने के लिए अधिरोपित करना समीचीन समझे।

(2) नगरपालिका के द्वारा या उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाय किसी भी भूमि का विकास किया या कराया नहीं जायेगा।

(3) यदि नगरपालिका में निहित किसी भूमि की किसी भी समय विकास प्राधिकरण या, यथास्थिति, नगर सुधार न्यास द्वारा अपने कृत्यों के पालन के लिए, या राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाये तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यास या, यथास्थिति, राज्य सरकार के किसी विभाग को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो ठीक समझी जायें, सौंप सकेगी।

(4) नगरपालिका द्वारा अर्जित या राज्य सरकार द्वारा अर्जित और नगरपालिका को अंतरित समस्त भूमि का व्ययन नगरपालिका द्वारा उसी रीति से किया जायेगा जो कि उप-धारा (1) में भूमि के लिए विहित की जाये।"।

7. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 69-क का प्रतिस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 69-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"69-क. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना.- (1) कोई व्यक्ति जो नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर, नगरपालिका द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह नगरपालिका से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का नगरपालिका के पक्ष में, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा, नगरपालिका ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगी और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगी।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है तो वह भी नगरपालिका से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा, नगरपालिका ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगी और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगी। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृति आधार पर है तो एकबारीय पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन नगरपालिका द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर, उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार नगरपालिका में निहित हो जायेंगे और नगरपालिका, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि के धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा (1) और (2) के अधीन नगरपालिका द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"।

8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 194 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 194 की उप-धारा (7) के विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(घ) लिखित अनुज्ञा वहां अपेक्षित नहीं होगी, जहां किसी व्यक्ति ने उप-धारा (1) के अधीन भू-खण्ड के ऐसे क्षेत्र पर, जो नगरपालिका की सुसंगत भवन निर्माण उप-विधियों में विहित किया जाये, संनिर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हो। अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और भवन निर्माण उप-विधियों में यथा विहित फीस जमा कराने के पश्चात् संनिर्माण कराया जा सकेगा। तथापि, यह उपबंध परकोटे वाले शहरी क्षेत्र/हेरिटेज क्षेत्र/निर्बंधित क्षेत्र, जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत विधि के अधीन पृथक् उप-विधियां/नियम विद्यमान हैं, को लागू नहीं होगा।"।

अध्याय 6
अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 में संशोधन

9. 2013 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 में नयी धारा 50-ख का अंत:स्थापन.- अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 50-क के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 9 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**50-ख. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना.-** (1) कोई व्यक्ति जो प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर, प्राधिकरण द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा कोई गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है तो वह भी प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृति आधार पर है तो एकबारीय पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और प्राधिकरण, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि के धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"।

10. 2013 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 में नयी धारा 89-क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 89 के पश्चात् और विद्यमान धारा 90 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**89-क. अभिलेख मंगवाने की शक्ति.-** (1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत शासन सचिव से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण या उसकी किसी समिति या अधिकारी द्वारा पारित या पारित किये गये समझे गये किसी

आदेश या संकल्प के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में समाधान के प्रयोजन के लिए सुसंगत अभिलेख मंगवा सकेगा, और ऐसा करने में, निदेश दे सकेगा कि ऐसे अभिलेख की परीक्षा होने तक ऐसा आदेश या संकल्प प्रास्थगित रखा जायेगा और उसे अग्रसर करने के लिए कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी परीक्षा नहीं कर ली जाये और उप-धारा (2) के अधीन आदेश पारित न कर दिया जाये:

परन्तु किसी आदेश या संकल्प से संबंधित कोई भी अभिलेख, ऐसे आदेश या संकल्प की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस उप-धारा के अधीन नहीं मंगवाया जायेगा।

(2) अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात्, राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे आदेश या संकल्प को विखंडित कर सकेगा, उलट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा और राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी का आदेश अंतिम होगा और प्राधिकरण और उसके अधिकारियों और समितियों पर आबद्धकर होगा।"।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, September 23, 2021

No. F. 2(25)Vidhi/2/2021.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Vidhiyan (Dviteeya Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (2021 Ka Adhiniyam Sankhyank 7):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN LAWS (SECOND AMENDMENT) ACT, 2021

(Act No. 7 of 2021)

(Received the assent of the Governor on the 23rd day of September, 2021)

An

Act

further to amend the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, the Jaipur Development Authority Act, 1982, the Jodhpur Development Authority Act, 2009, the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and the Ajmer Development Authority Act, 2013.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Laws (Second Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

CHAPTER-II

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT ACT, 1959

2. Substitution of section 43, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- For the existing section 43 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

''43. Land to vest in the Trust and its disposal.- (1) Notwithstanding anything contained in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the land as defined in section 103 of that Act, excluding land referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of the said section and Nazul land placed at the disposal of a local authority under section 102-A of that Act in urban area shall, immediately after establishment of the Trust under section 8 of this Act, be deemed to have been placed at the disposal of and vested in the Trust which shall take over such land for and on behalf of the State Government and may use the same for the purposes of this Act, and may dispose of the same by way of allotment, regularization or auction subject to such conditions and restrictions as the State Government may, from time to time, lay down and in such manner, as it may, from time to time, prescribe:

Provided that the Trust may dispose of any such land-

(a) without undertaking or carrying out any improvement thereon; or

(b) after undertaking or carrying out such improvement as it thinks fit, to such person, in such manner and subject to such covenants and conditions, as it may consider expedient to impose for securing improvement according to plan.

(2) No improvement of any land shall be undertaken or carried out except by or under the control and supervision of the Trust.

(3) If any land vested in the Trust is required at any time by the Municipality, for carrying out its functions, or by the State Government for any other purpose, the State Government may, by notification in the Official Gazette, place such land at the disposal of the Municipality or any Department of the State Government on such terms and conditions as may be deemed fit.".

3. Insertion of new section 60-C, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- After the existing section 60-B and before the existing CHAPTER VIII of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

''60-C. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of free hold patta.- (1) Any person who holds non-agricultural land within the jurisdiction of the Trust otherwise than under a lease or licence issued by the Trust may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Trust for the purpose of obtaining free hold rights from the Trust, the Trust may accept such rights and may issue free hold patta.

(2) Any person who holds any order or patta issued under any other law may also surrender his rights in such land in favour of the Trust for the purpose of obtaining free hold rights from the Trust, the Trust may accept such rights and may issue free hold patta. In case such land is on leasehold basis the free hold patta shall be issued on depositing one time lease money as may be prescribed.

(3) On acceptance of rights by the Trust under sub-sections (1) and (2), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Trust and the Trust shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue free hold patta to the holder of the said land.

(4) The free hold patta issued under sub-section (3) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Trust of the rights under sub-sections (1) and (2).".

CHAPTER-III

AMENDMENT IN THE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 1982

4. Insertion of new section 54-E, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- After the existing section 54-D and before the existing CHAPTER IX of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), the following new section shall be inserted, namely:-

"54-E. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of free hold patta.- (1) Any person who holds non- agricultural land within the jurisdiction of the Authority otherwise than under a lease or licence issued by the Authority may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta.

(2) Any person who holds any order or patta issued under any other law may also surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta. In case such land is on leasehold basis the free hold patta shall be issued on depositing one time lease money as may be prescribed.

(3) On acceptance of rights by the Authority under sub-sections (1) and (2), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Authority and the Authority shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue free hold patta to the holder of the said land.

(4) The free hold patta issued under sub-section (3) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Authority of the rights under sub-sections (1) and (2).".

CHAPTER –IV

AMENDMENT IN THE JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2009

5. Insertion of new section 50-B, Rajasthan Act No. 2 of 2009.-After the existing section 50-A and before the existing CHAPTER IX of the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009), the following new section shall be inserted, namely:-

"50-B. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of free hold patta.- (1) Any person who holds non-agricultural land within the jurisdiction of the Authority otherwise than under a lease or licence issued by the Authority may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta.

(2) Any person who holds any order or patta issued under any other law may also surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta. In case such land is on leasehold basis the free hold patta shall be issued on depositing one time lease money as may be prescribed.

(3) On acceptance of rights by the Authority under sub-sections (1) and (2), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Authority and the Authority shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue free hold patta to the holder of the said land.

(4) The free hold patta issued under sub-section (3) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Authority of the rights under sub-sections (1) and (2).".

CHAPTER-V

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009

6. Insertion of new section 68-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- After the existing section 68 and before the existing section 69 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**68-A. Land to vest in the Municipality and its disposal.-** (1) Notwithstanding anything contained in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the land as defined in section 103 of that Act, excluding land referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of the said section and Nazul land placed at the disposal of a local authority under section 102-A of that Act in municipal area shall, immediately after establishment of the Municipality under section 5 of this Act, be deemed to have been placed at the disposal of and vested in the Municipality which shall take over such land for and on behalf of the State Government and may use the same for the purposes of this Act, and may dispose of the same subject to such conditions and restrictions as the State Government may, from time to time, lay down and in such manner, as it may, from time to time, prescribe:

Provided that the Municipality may dispose of any such land-

(a) without undertaking or carrying out any development thereon; or

(b) after undertaking or carrying out such development as it thinks fit, to such person, in such manner and subject to such covenants and conditions, as it may consider expedient to impose for securing development according to plan.

(2) No development of any land shall be undertaken or carried out except by or under the control and supervision of the Municipality.

(3) If any land vested in the Municipality is required at any time by the Development Authority or the Urban Improvement Trust, as the case may be, for carrying out its functions, or by State Government for any other purpose, the State Government may by notification in the Official Gazette, place such land at the disposal of the Development Authority or the Urban Improvement Trust or any department of State Government, as the case may be, on such terms and condition as may deemed fit.

(4) All land acquired by the Municipality, or by the State Government and transferred to the Municipality, shall be disposed of by the Municipality in the same manner as may be prescribed for land in sub-section (1).".

7. Substitution of section 69-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 69-A of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"69-A. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of free hold patta.- (1) Any person who holds non-agricultural land within the jurisdiction of the Municipality otherwise than under a lease or licence issued by the Municipality may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Municipality for the purpose of obtaining free hold rights from the Municipality, the Municipality may accept such rights and may issue free hold patta.

(2) Any person who holds any order or patta issued under any other law may also surrender his rights in such land in favour of the Municipality for the purpose of obtaining free hold rights from the Municipality, the Municipality may accept such

rights and may issue free hold patta. In case such land is on lease hold basis the free hold patta shall be issued on depositing one time lease money as may be prescribed.

(3) On acceptance of rights by the Municipality under sub-sections (1) and (2), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Municipality and the Municipality shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue free hold patta to the holder of the said land.

(4) The free hold patta issued under sub-section (3) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Municipality of the rights under sub-sections (1) and (2).".

8. Amendment of section 194, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing clause (d) of sub-section (7) of section 194 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(d) A written permission shall not be required where a person has submitted an application under sub-section (1) for construction on such area of the plot as may be prescribed in relevant building bye-laws of the Municipality. Construction can be undertaken after submitting the required documents and depositing the fee as prescribed in the building bye-laws. However, this provision shall not be applicable for walled city area/heritage area/restricted area for which separate bye-laws/rules are in existence under any relevant law for time being in force.".

CHAPTER-VI

AMENDMENT IN THE AJMER DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2013

9. Insertion of new section 50-B, Rajasthan Act No. 39 of 2013.- After the existing section 50-A and before the existing CHAPTER IX of the Ajmer Development Authority Act, 2013 (Act No. 39 of 2013), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"50-B. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of free hold patta.- (1) Any person who holds non-agricultural land within the jurisdiction of the Authority otherwise than under a lease or licence issued by the Authority may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta.

(2) Any person who holds any order or patta issued under any other law may also surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta. In case such land is on leasehold basis the free hold patta shall be issued on depositing one time lease money as may be prescribed.

(3) On acceptance of rights by the Authority under sub-sections (1) and (2), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Authority and the Authority shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue free hold patta to the holder of the said land.

(4) The free hold patta issued under sub-section (3) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Authority of the rights under sub-sections (1) and (2).".

10. Insertion of new section 89-A, Rajasthan Act No. 39 of 2013.- After the existing section 89 and before the existing section 90 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"89-A. Power to call for records.- (1) The State Government or any officer not below the rank of the Secretary to the Government authorized in this behalf by the State Government, may, for the purpose of being satisfied as to the correctness, legality or propriety of any order or resolution passed or purporting to have been passed , under this Act by the Authority or any committee or officer of it, call for the relevant record, and may in doing so, direct that pending the examination of such record, such order or resolution shall be kept in abeyance and no action in furtherance thereof shall be taken until such examination by the State Government or by the officer authorized in this behalf by the State Government and the passing of order under sub-section (2):

Provided that no record relating to an order or a resolution shall be called for under this sub-section after the expiry of three years from the date of such order or resolution.

(2) After examining the record, the State Government or the officer authorized as aforesaid may rescind, reverse or modify such order or resolution and the order of the State Government or the officer authorized as aforesaid shall be final and binding on the Authority and on its officers and committees.".

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।